


**छत्तीसगढ़ स्टेट साविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड बीजापुर**  
**द्वितीय निविदा सूचना**

निविदा प्रारंभ की तिथि दिनांक 16.01.2017 से  
निविदा जमा करने अंतिम तिथि दिनांक 31.01.2017 को दोपहर 02:00 बजे तक  
निविदा खुलने की तिथि दिनांक 31.01.2017 समय दोपहर 03:00 बजे

**स्थान – छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड**  
**जिला कार्यालय कलेक्टर परिसर प्रथम तल मेन रोड बीजापुर**

प्रदाय केन्द्रों में उपलब्ध अनुपयोगी स्कंध का विवरण निम्नानुसार है :-  
(मात्रा क्विंटल में एवं बारदाना नग में)

क्र.	केन्द्र का नाम	एमएल नमक	छ.ग. नमक	अमृत नमक	अनुपयोगी बारदाना
1	बीजापुर	—	1.29	7.06	—
2	भैरमगढ़	1.26	1.50	7.28	—
3	भोपालपट्टनम	—	—	148.62	103 नग
4	उसूर(आवापल्ली)	—	—	79.26	—
कुल		1.26	2.79	242.22	103 नग

  
जिला प्रबंधक  
बीजापुर

## अनुपयोगी स्कंध/सामग्रियों के निविदा हेतु शर्तें

1. स्कंध सामग्री का विक्रय "जहाँ है जैसा है" के आधार पर किया जाना है। संग्रहित मात्रा कम-ज्यादा हो सकती है।
2. दूरे भरने के पूर्व इच्छुक क्रेता विज्ञाप प्रबंधकों से सम्पर्क कर जिला/केन्द्रों पर संग्रहित स्कंध/सामग्रियों का निरीक्षण कर उत्सुक होने पर निविदा भरें।
3. इच्छुक निविदाकार बंद लिफाफे में लेटरहेड पर वासपोस्ट साईज स्वप्रभाषित फोटो के साथ दर प्रति विक्टल तथा खाली बारदाना हेतु प्रति मग दरें प्रस्तुत करें। निविदाकार अनुपयोगी गीली शक्कर एवं ननक की दरों के साथ पैन नम्बर एवं बैंक खाता क्रमांक तथा पैन वार्ड की फोटो प्रति भी अनिवार्य लगावे।
4. निविदा के साथ अर्नेस्ट बनी स्वीपेज गारंटर (गीली) हेतु 200 रु. प्रति विक्टल (गिहूँ, घना, पीली मटर वाला) हेतु 50 रु. प्रति विक्टल (राजमाक अमृत नमक, स्वीपेज अमृत नमक, छत्तीसगट नमक, महतारी लईका ननक एवं महामत्या नमक) हेतु 25 रु. प्रति विक्टल एवं खाली बारदाना हेतु 1 रु. प्रति मग की दर से अमानत राशि जमा करना होगा। अमानत राशि डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से किसी भी राष्ट्रीय/संयुक्त बैंक वा. डी.डी. छत्तीसगट स्टेट विपिन सन्सार्डिज कारपोरेशन लि. जिला कार्यालय के पास से भेज होगा। संलग्न करना अनिवार्य है। निर्धारित अमानत राशि के बिना निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. निविदा स्वीकृत होने पर H/1 को छोड़कर अन्य निविदाकारों की अमानत राशि जिला कार्यालय द्वारा वापस कर दी जायेगी।
6. दूर स्वीकृत होने पर खाद्यान्नों/सामग्री के मूल्य की समस्त राशि आर.टी.जी.एस. या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जिला कार्यालय में जमा कर 15 दिनों के भीतर अत्याज सामग्रियों का उठान करना अनिवार्य होगा, निर्धारित अवधि में उठान नहीं करने पर निष्पक्षतापूर्वक निर्धारित भण्डारण शुल्क जमा कराकर पुनः 15 दिवस की समय-सीमा मुकदमाका बाका बर्बाद करेगी। इसके बाद भी किलीवरी नहीं लेने पर निविदाकार को सामग्री प्रदाय नहीं कर जमा की गई अमानत राशि को राजसात करने की कार्यवाही की जायेगी।
7. भण्डारित स्कंध/सामग्री की किलीवरी एक साथ एक करफ से दिया जायेगा। स्कंध/सामग्री छांट कर प्रदाय नहीं किया जायेगा। किलीवरी के दौरान अतिरिक्त बारदाने की आवश्यकता होने पर, क्रेता को बारदाने की व्यवस्था स्वयं करना होगा।
8. निविदा स्वीकृत होने पर भण्डारित सामग्री के मूल्य की सम्पूर्ण राशि जिला कार्यालय में जमा कर अनुबंध जिला कार्यालय में दिया जायेगा।
9. निगम से स्कंध उठान के पूर्व उक्त स्कंध को माला के लाने के लिए उपयोग/विक्रय नहीं किये जाने हेतु निर्धारित प्रारूप में शपथ-पत्र देना होगा।
10. निविदा की मात्रा का उठान करने में होने वाले समस्त व्ययों को क्रेता द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
11. विक्रय हेतु उपलब्ध सामग्री के मूल्य के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अन्य कर स्वयं क्रेता को देना अनिवार्य होगा।
12. अपवाद स्वल्प सामग्री के उठान करने में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति निर्मित होने पर उसको निराकरण के लिए प्रथमतः निगम के प्रबंध संचालक व इनके द्वारा मनोनीत अधिकारी द्वारा किया जाएगा तथा इनके द्वारा दिया गया निर्णय क्रेता पर बंधनकारी होगा।
13. किसी भी प्रकार के विवादों के लिए सचालक क्षेत्र रायपुर (छ.ग.) होगा।
14. किसी भी निविदा/दर को स्वीकृत/अस्वीकृत करने के अंतिम निर्णय का अधिकार प्रबंध संचालक को होगा।

महामुद्राधिक (पी.डी.एस.)